प्रकरण संख्या 16/25
अनवान दर्शन सिह बनाम गुरजीत सिह

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर दर्शन सिह पुत्र गुरजन्ट सिह को चक 1 एमएमके खाता संख्या 139/80 में दर्ज भूमि को मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने के कारण कृषि कार्य हेतु गुरजीत सिह पुत्र बलराज सिह अपनी खातेदारी भूमि मे से बिना कोई प्रतिफल सहमति से उक्त प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है इसलिए राजस्थानं काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एमएमके के प.न. 173/196 मु.न. 32 किला नम्बर 3/3/0.092 कुल है. मे से 0.0100 है.गै.मु.रास्ता किला नम्बर 4/1/0.228 है. मे से कुल 0.025 है. गै.मु.रास्ता किला नम्बर 5/1/0.228 है. मे से कुल 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार किला न. 3 व 4 एवं 5 में कुल 0.060 है. गै.मु.रास्ता उत्तर दिशा में गै.मु. खाला के साथ चिपता हुआ गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश से यदि राज्यहित प्रभावित नही हो तो उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 7.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner